जी0बी0डी0-08-20-विविध-13/2017- 488 (अ) दिनांक:- 16/1/18

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

विनय कुमार,

उप सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,

गर्दनीबाग भवन प्रमंडल, पटना।

महाशय,

गर्दनीबाग क्षेत्राधीन 290 एकड़ विभागीय स्वामीत्व की भूमि पर पूर्व से 874 आवास तृतीय श्रेणी लगभग 200 चतुर्थ श्रेणी के आवास पूर्व से निर्मित है। ये सभी आवास अत्यन्त ही जर्जर एवं आवासन योग्य नहीं होने की स्थिति में उक्त क्षेत्र में आवासीत सभी आवासियों के उनके पारिवारिक एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के दृष्टिकोण से उपर्युक्त आवासों में सिफ्ट करने की कार्रवाई सरकार के विचाराधीन था। गर्दनीबाग में जर्जर आवासों को तोड़ने के संबंध में कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमंडल के पत्रांक 1490, दिनांक 29.05.2017 द्वारा सभी आवासों को अयोग्य करार किये जाने संबंधी पत्र के आलोक में विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत वैध आवासियों को विभागीय विभिन्न कार्यालय आदेशों द्वारा उन्हें आवासों को आवंटन किया गया।

सरकार के संज्ञान में EE के प्रतिवेदन द्वारा यह तथ्य प्रमुखता से लाया गया कि गर्दनीबाग क्षेत्र में बने आवास अतिजर्जर होने एवं आवासन योग्य नहीं है। इस सूचना के आधार पर सक्षम प्राधिकार द्वारा आवासियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अन्य पटना के भवन प्रमंडलों में आवासों का आवंटन कर दिया गया।

राज्य सरकार द्वारा गर्दनीबाग के पुनर्विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार किया गया, जिसके अनुसार उक्त भूमि पर मा0 मंत्री एवं समकक्ष महानुभाव, उच्च न्यायालय के मा0 न्यायमूर्ती एवं वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी के आवास के अलावा तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के सैंकड़ों आवास, महालेखाकार कार्यालय/आवासीय भवन, शिक्षण संस्थान, आई0टी0 टॉवर, सास्थिक क्षेत्र के रूप में विकास की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्यवयन के निमित्त सर्वप्रथम उक्त स्थल को खाली कराना आवश्यक समझा गया तथा इसी कड़ी में उन सभी वैध आवासीयों को अन्यत्र स्थानों पर सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया गया।

गर्दनीबाग भवन प्रमंडल में आवासित आवासियों का उचित सहयोग प्रदान नहीं होने के कारण विभाग को योजना के कार्यान्वियन में व्यवहारिक कठिनाई हो रही है। इस क्षेत्र के लगभग 83 आवेदकों द्वारा अपनी विविध कारणों से उस आवास में सेवा निवृति की तिथि तक बने रहने का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उनके अभ्यावेदन के परिपेक्ष्य में कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमंडल को उन आवासों की भौतिक स्थिति का सर्वेक्षण एवं फोटोग्राफी कराया गया। कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमंडल के पत्रांक 2736, दिनांक 13.11.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन एवं फोटोग्राफ से विदित होता है कि उस क्षेत्र के सभी आवास आवासन योग्य नहीं है। जैसा कि उपर्युक्त कंडिकाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि गर्दनीबाग प्रमंडलाधीन सभी आवास जर्जर एवं आवासन योग्य नहीं होने की स्थिति में ही विभाग द्वारा सभी उपयुक्त कदम उठाया गया।

गर्दनीबाग भवन प्रमंडल के सभी 173 वैध आवासियों को सुरक्षित आवंटित आवासों में 15 दिनों के अन्दर जाने का निदेश दिया गया है। साथ ही साथ उन सभी आवासियों को विभागीय पत्रांक 9980, दिनांक 13.11.2017 द्वारा आवश्यक नोटिस निर्गत किया गया कि आवास अतिजर्जर है, जिसे तोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ हो जायेगी तथा किसी प्रतिकूल परिस्थिति के लिए जबावदेही आवासी की होगी। तत्पश्चात् समय समय पर जर्जर आवास को खाली करने हेतु भोपू द्वारा उद्घोषणा भी करायी गयी। इसके वाबजूद भी ये सभी आवासी विभागीय आदेश/निदेश को धत्ता बताते हुए सेवा निवृति की तिथि तक बने रहने का उत्क्रम बना रहे हैं, जिससे विभागीय एवं आवासियों का हित असुरक्षित हो गया है।

उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य अराजपत्रित आवास आवंटन नियमावली में यह प्रावधान है कि पात्र कर्मचारी द्वारा आवंटित आवास का एक पक्ष के अन्दर प्रभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो वे अपात्र घोषित हो जायेगें तथा उक्त आवास किसी अन्य पात्र कर्मचारी को आवंटित कर दिये जाने का प्रावधान है। गर्दनीबाग क्षेत्राधीन जिन कर्मियों को विभाग द्वारा आवंटित आवास पसंद नहीं है, तो वे अपने नियंत्री विभाग से आवास किराया भत्ता का भुगतान करने एवं किराये के आवास में रहने के लिए स्वतंत्र है।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में गर्दनीबाग भवन प्रमंडल स्थित सभी आवास जर्जर एवं आवासन योग्य नहीं रहने तथा उक्त क्षेत्र के वैध आवासियों के जान-माल की रक्षा एवं सुरक्षा तथा विभागीय योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारंभ करने के उद्देश्य से नवआवंटित आवास का प्रभार ग्रहण नहीं करने वाले सभी कर्मियों को उनके अभ्यावेदन को निरस्त करने हेतु विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करने एवं विभागीय निदेश/आदेश की अवहेलना करने संबंधी आरोपों पर इनके विरूद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु इनके नियंत्री विभाग से आवश्यक अनुरोध किया जा रहा है, जिसकी सारी जबावदेही आवासियों की होगी।

निदेशानुसार अनुरोध है कि विभागीय निर्णय से गर्दनीबाग के सभी आवासियों एवं उनके नियंत्री विभाग/विभागों के विभागाध्यक्ष को सूचना प्रेषित की जाय।

15/1/18

(विनय कुमार)
उप सचिव-सह-
भू-सम्पदा पदाधिकारी।

ज्ञापांक:-जी0बी0डी0-08-20-विविध-13/2017 488 (7) दिनांक:- 16/1/18

प्रतिलिपि-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव/मुख्य अभियंता(पटना)/अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार, भवन अंचल/पटना भवन अंचल, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमंडल, पटना, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/1/18

(विनय कुमार)
उप सचिव-सह-
भू-सम्पदा पदाधिकारी।

15.1.18

D:\Amar\Estate Officer\Letter(New 2017).docx